

RAJASTHAN FINANCIAL CORPORATION
Udyog Bhawan, Tilak Marg, JAIPUR

Ref.No.: RFC/HO/FR- ARRC/ 2088

Dated : 28.5.2007

CIRCULAR
(ARRC-151)

Reg: Compliance of provisions of the Private Security Agencies Regulation Act, 2005.

Security guards of some Private Security Agencies are working for watch & ward of units under possession of the Corporation. As per the Rajasthan Private Security Agencies Act 2005 all the private security agencies providing security services are required to obtain license. The State Govt. vide Circular No. F33(5)Home-9/2005 dated 17.3.07 (copy enclosed) has issued directions in this regard.

Further according to Section 21 of the Rajasthan Private Security Agencies Act 2005, supervisors and security guards of private security agencies are debarred from wearing dress similar to that of Armed Forces, Air Forces, Navy and Central / State Police Force. The State Govt. vide circular No.33(5)Home-9/2005 dated 30.3.2007 (Copy enclosed) has issued directions in this regard and has asked to take action against them for violation, if any.

All concerned are advised to ensure compliance and take necessary action immediately.



(Purushottam Biyani)
General Manager(Dev.)

Encl: As above.

Copy to :

- 1) All ROs / BOs / Sps.
- 2) A&I, WZ, Ajmer
- 3) Standard Circulation at HO.

CIRCULAR

CMD(GD) 12
4-4-2007

राजस्थान सरकार
गृह, (ग्रुप-9) विभाग

क्रमांक:प. 33(5)गृह-9/2005

जयपुर, दिनांक: 17.3.2007

समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
समस्त जिला पुलिस अधीक्षक,
राजस्थान।

विषय:- दी प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेन्सीज (विनियमन) अधिनियम, 2005 के अंतर्गत लाईसेंस की अनिवार्यता।

महोदय,

आपको विदित है कि 'दी राजस्थान प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेन्सीज (विनियमन) अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत दी राजस्थान प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेन्सीज (विनियमन) नियम, 2006 दिनांक 11-10-2006 को अधिसूचित हो गये हैं। अतः यह आवश्यक है कि राज्य में कार्यरत समस्त प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेन्सीज उक्त अधिनियम के अन्तर्गत लाईसेन्स प्राप्त करें।

राज्य सरकार के संज्ञान में आया है कि वर्तमान में अनेक सुरक्षा एजेन्सियां बिना लाईसेन्स प्राप्त किये कार्य कर रही हैं। विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत यदि कोई व्यक्ति/संस्था दी प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी (रिग्यूलेशन) एक्ट, 2005 की धारा 4 के उल्लंघन में अधिनियम के लागू होने की दिनांक अर्थात् 15-3-2006 से एक वर्ष की अवधि (जो कि दिनांक 14.3.2007 को पूर्ण हो गई है) के उपरान्त भी बिना लाईसेन्स प्राप्त किये व्यवसाय करता है तो उसे अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (1) के अन्तर्गत एक वर्ष के कारावास अथवा रू. 25,000/- जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः यह आवश्यक है कि ऐसी सिक्यूरिटी एजेन्सियां जिनके द्वारा अब तक बिना लाईसेन्स प्राप्त किये कार्य/व्यवसाय किया जा रहा है उन्हें शीघ्र लाईसेन्स प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया जावे। साथ ही विभिन्न विभागों में विभागीय स्तर पर प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेन्सियों के साथ किये जाने वाले अनुबन्धों में भी उक्त लाईसेन्स प्राप्ति की शर्त को अनिवार्य किया जावे।

दी राजस्थान प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेन्सीज (विनियमन) नियम, 2006 के अन्तर्गत लाईसेन्स हेतु प्रार्थना-पत्र निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित शुल्क के साथ शीघे ही शासन सचिव, गृह (सुरक्षा) विभाग को प्रेषित किये जावे। शासन सचिव, गृह (सुरक्षा) विभाग अधिनियम की धारा 3 (1) के अन्तर्गत कन्ट्रोलिंग अथोरिटी अधिसूचित है।

कृपया इस हेतु आवश्यक कार्यवाही शीघ्र करने का श्रम करावे।

प्रतिलिपि -

- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क, विभाग, राजस्थान, जयपुर को सर्वसाधारण के सूचनार्थ समाचार-पत्रों में प्रकाशन हेतु प्रेषित है।

उप शासन सचिव-सुरक्षा

उप शासन सचिव-सुरक्षा

ED 34
डायाज

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-9) विभाग

6/10/4

क्रमांक:प. 33(5)गृह-9/2005

समस्त विभागाध्यक्ष,
राजस्थान।

जयपुर, दिनांक: 30-3-2007

10/4

Omsham

विषय:- प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेन्सीज के गार्डस् अथवा सुपरवाईजर्स द्वारा अन्य सुरक्षा बलों की जैसी वर्दी का उपयोग करने के संबंध में कार्यवाही करने बाबत।

महोदय,

50407

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि राज्य सरकार द्वारा 'दी राजस्थान प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेन्सीज (विनियमन) नियम, 2006' समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 11-10-2006 द्वारा जारी कर राज्य में लागू कर दिये गये हैं। दी प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेन्सीज (रेग्यूलेशन) एक्ट, 2005 (वर्ष 2005 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 29) के सैक्शन-21 में यह प्रावधान है कि कोई प्राइवेट सिक्यूरिटी गार्ड अथवा सुपरवाईजर थल सेना, वायु सेना, जल सेना अथवा केन्द्रीय/राज्य पुलिस बल से मिलती-जुलती वर्दी पहनता है तो वह एक वर्ष के कारावास अथवा रूपये पाँच हजार के जुर्माने अथवा दोनों से दण्डित किया जायेगा।

ED
DGM (HAD)

5 APR 2007

राज्य सरकार के संज्ञान में लाया गया है कि निजी सुरक्षा एजेन्सीयों के द्वारा खाकी वर्दी सहित ऊपर वर्णित बलों की वर्दियों से मिलती-जुलती वर्दी का उपयोग किया जा रहा है जो विधि सम्मत प्रावधानों के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। ऐसी सुरक्षा एजेन्सीयों के गार्डस् और सुपरवाईजर द्वारा यदि इस प्रकार की वर्दियों का उपयोग किया जाता है तो उनके खिलाफ प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी (विनियमन) अधिनियम-2005 के सैक्शन 21 के उक्त प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

कृपया इस संबंध में आप द्वारा समय-समय पर की गई कार्यवाही की सूचना गृह विभाग को भिजवाने की व्यवस्था भी करें।

भवदीय,

उप शासन सचिव-सुरक्षा